संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुडा भवन मध्यप्रदेश

क्र. 9/नर्सिंग/सेल–1/2014/1238 भोपाल,दिनांक 5/12/2014

//आदेश//

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.10.2014 की अनुशंसा के आधार पर श्रीमति चंद्रकाता जैन को स्टाफ नर्स से नर्सिंग सिस्टर/हाउसकीपर के पद पर 6वॉ वेतनमान, वेतन बैंड पी.बी. 1 रूपयें 5200 – 20200 + ग्रेड पे 2800 में पदोन्नति कर उन्हे अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक निम्न नवीन पदस्थापना स्थान पर पदस्थ किया जाता हैं।

| स. क. | वरियता क. | कर्मचारी का नाम | जाति | वर्तमान पदस्थापना स्थल | पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना स्थल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107ए | श्रीमति चंद्रकाता जैन | सामान्य | जिला चिकि. बड़वानी | जिला चिकि. बड़वानी |

श्रीमति जैन को पदोन्नति उपरांत पदस्थापना स्थान पर दिनांक 22.12.2014 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा, नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् ही पदोन्नति प्रभावशील होगी।

श्रीमति जैन की पारस्पारिक वरियता का निर्धारण संचालनालय से जारी आदेश क. 9/नर्सिंग/सेल 1/191 दिनांक 3.3.2014 के आदेश अनुसार नोश्नल फिकसेशन करते हुये करें। समय – सीमा में कार्यभार ग्रहण नही करने पर वरियता पर विपरीत प्रभार पड़ेगा। यदि समयावधि में पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया गया , तो पदोन्नति से एक वर्ष के लिये वंचित किया जावेगा, एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

(डॉ. बी.एस. ओहरी)
संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल–1/2014/1239 भोपाल, दिनांक 5/12/2014

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
2. संचालक चिकित्सा सेवायें मध्यप्रदेश।
3. विभागीय अध्यक्ष पदोन्नति चयन समिति संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
4. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर म.प्र.।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बड़वानी, मध्यप्रदेश।
6. श्री पी.सी.थामस, एच.एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि आदेश की प्रति विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करें।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि आप शीघ्र कार्यमुक्त होकर पदोन्नति दिनॉक से 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण कर उपस्थिति रिपोर्ट की एक प्रति संचालक (नर्सिंग) को भेजें। यदि आपके द्वारा समयावधि मे कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो आपसे कनिष्ट कर्मचारी को पदोन्नति का अवसर दिया जावेगा। इस बावत् किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. आदेश नस्ति।

संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश